(46)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: ।२००७ विविध

I/विविध/छतरपुर/भू.रा./2017/4029

श्री एस0के0 अवस्थी एड. द्वारा आज दि. 27-10-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 27-10-17

पेशी दिनांक 9-11-17

राजेश कुमार गंगेले पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गंगेले, निवासी चौबे कालोनी, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन ------ प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ८ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। विरुध्द एस0डी0ओ0 महोदय (राजस्व) छतरपुर को तहसीलदार महोदय छतरपुर के प्र0क्र0 ७५१/बी-१२१/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक १३-०६-१७ के विरुध्द अपील प्रकरण में कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाने बावत् ।

Naled. 9.11.17

महोदय,

प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, तहसीलदार महोदय छतरपुर द्वारा प्र0क्र0 ७५१/बी-१२१ में पारित आदेश दिनांक १३-०६-१७ द्वारा प्रार्थी की ओर से वर्तमान प्रकरण में विवादित भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने की अनुमति का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा २३६ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को निरस्त किया गया है ।

२- यह कि, धारा ४४(१) भू-राजस्व संहिता के आधीन प्रार्थी ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री चन्द्रदेव त्रिपाठी अभिभाषक महोदय को अधिकृत कर समस्त आवश्यक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करा दिये हैं ।

३- यह कि, श्री चन्द्रदेव त्रिपाठी अभिभाषक महोदय ने अपील का आवेदन पत्र माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व)

क्रमशः---२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक / विविध / छतरपुर / भू.रा / 2017 / 4029

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.11.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा–8 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 751 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.9.17 के विरूद्व अपील प्रकरण में कार्यवाही हेतु निर्देश किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा आदेशित किया जाता है कि मूल विविध आवेदन पत्र मय दस्तावेज के आवेदक अधिवक्ता को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जोव। सदस्य	